भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 446

दिनांक **04** फरवरी**,** 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत खाद्य उत्पाद

446. श्री दुरई वाइको:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

चालू वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत मूल्य वर्धित कृषि / प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यातकों और लाभार्थियों को तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों में दी गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपनी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) में तीन घटकों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है: (i) निर्यात अवसंरचना का विकास (ii) गुणवत्ता विकास, (iii) बाजार विकास। निर्यातकों को अखिल भारतीय आधार पर सहायता प्रदान की जाती है जिसमें तमिलनाडु सहित सभी राज्य शामिल हैं।

तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के लिए, एपीडा ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान निर्यात अवसंरचना घटक के विकास के तहत तीन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के लिए, उसी अवधि में गुणवत्ता विकास और बाजार विकास घटकों के तहत दो लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एपीडा ने वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों में तिरुचिरापल्ली जिले में अपने हितधारकों के लिए 8 क्षमता निर्माण कार्यक्रम और पुडुकोट्टई जिले में 3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए है।

मसाले बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र की योजना "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवोन्मेषी और सहयोगात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में सतता (स्पाइस्ड)" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए

प्रमुख योजना घटकों/उप-घटकों में बाजार विस्तार के लिए क्षमताओं को बढ़ाना, व्यापार संवर्धन, उत्पाद और बाजार विकास और भारतीय मसालों की ब्रांडिंग, मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनागत क्रियाकलाप, इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना, मसालों की कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन, निर्यात के लिए गुणवत्ता आश्वासन आदि शामिल हैं।

यह योजना सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित की गई है, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है और राज्य के मसाले क्षेत्र के हितधारक स्पाइस्ड योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों के किसी भी निर्यातक ने मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

****